

2794

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

IN

ORIGINAL APPLICATION NO. 462 OF 2023

IN THE MATTER OF:

Raja Ram SinghApplicant

Versus

State of U.P.Respondent

WITH

ORIGINAL APPLICATION NO. 481 OF 2023

Balbir Sandhu Applicant

Versus

State of U.P. & AnrRespondent

INDEX

S.No.	Particulars	Page No.
1.	Affidavit of District Magistrate Saharanpur in compliance of order dated 12.08.2024 passed by this Hon'ble Tribunal	
2.	Annexure R-1 A Copy of order dated 12.08.2024 passed by this Hon'ble Tribunal	
3.	Annexure R-2 A copy of Ministry of Environment, Forest and Climate Change Notification dated 25 th July, 2018	



2795

3.	Annexure R-3 A copy of letter (Government Order) dated 30 th August 2019	
4.	Annexure R-4 A copy of letter dated 17 th July 2023.	
5.	Annexure R-5 A copy of Online applications Format	
6.	Annexure R-6 A copy of MM-10 issued to few recorded bhumidars	

Ankit Verma

THROUGH

(ANKIT VERMA)

STANDING COUNSEL STATE OF UP

A-15 FF, NIZAMUDDIN EAST, NEW DELHI- 110013

MOB:- 0999080440

Email-ankit.scngtup@gmail.com




2796

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

IN

ORIGINAL APPLICATION NO. 462 OF 2023



IN THE MATTER OF:

Raja Ram Singh

...Applicant

Versus

State of U.P.

....Respondent

WITH

ORIGINAL APPLICATION NO. 481 OF 2023

Balbir Sandhu


..... Applicant

Versus

State of U.P. & Anr

.....Respondent

**AFFIDAVIT OF DISTRICT MAGISTRATE SAHARANPUR IN
COMPLIANCE OF ORDER DATED 12.08.2024 PASSED BY
THIS HON'BLE TRIBUNAL**



The Respondent Herein states as under

MOST RESPECTFULLY SHOWETH:

I, Manish Bansal aged about 34 years, S/o Ram Avtar Bansal
presently posted as District Magistrate District Saharanpur, Uttar




2797

Pradesh, the deponent, do hereby solemnly state and affirm as under: -

1. That I am above mentioned authorized officer of the answering Respondent and is duly competent to file the present affidavit. That the Deponent is well conversant with the facts and the circumstance of the instant case and is competent to swear this affidavit.

2. That the Deponent has read and understood the contents of the present affidavit. The averments made in the Written submission of applicant no.5 which are not specifically admitted hereunder must be considered to have been denied by the Deponent.

3. That the deponent is posted as District Magistrate Saharanpur since 26.06.2024.




That this Hon'ble Tribunal vide it's order dated 12.08.2024 was pleased to the following directions:-

...2. In Original Application No. 481/2023, applicant has filed written objection dated 09.08.2024 but copy thereof has not been served upon respondents. Let copy of the same be served upon all the respondents within three days.

...3. Respondents may file their response, if any, within two weeks.

...4. Learned counsel for State of U.P and District Magistrate are directed to place on record the provision where under alleged short term permits can be issued permitting mining without obtaining prior Environmental Clearance (hereinafter referred to as 'EC') though under Environment Impact Assessment Notification dated 14.09.2006 as amended from time to time. There is no distinction with regard to 'short term permit' and 'long term permit' and if any mining permit is to be issued, it will require prior EC..... A copy of order dated 12.08.2024 passed by this Hon'ble Tribunal is annexed




herewith and marked as **Annexure R-1**

5. That the present affidavit is being filed in respectful compliance of the order dated 12.08.2024 passed by this Hon'ble Tribunal.

6. That the Uttar Pradesh Minor Mineral Concession Rules 2021 were framed with a view to regulate the concession of minor minerals.
7. That the Rule 52 of the Uttar Pradesh Minor Mineral Concession Rules lays down procedure for grant of Mining Permit on Agriculture Land. The relevant portion of the aforesaid rule is being extracted herein :-

Notwithstanding anything contained in Rule 74, the bhumidhar of agricultural land may apply for grant of mining permit for removal of sand or morrum or Bajri

or Boulder or any of these in mixed state accumulated due to flood on his agricultural land in Form MM-8, in triplicate to the District Officer, accompanied by a fee of Rs 2000 (Rupees Two thousand) Only, and two copies of a cadastral Survey map on which the area, applied for, is clearly marked. (2) The District Officer shall cause an enquiry, if deemed necessary, through concerned Tahsildar and Mines Officer/Mines Inspector on the following points - (a) Whether the sand or morrum or Bajri or Boulder or any of these ill mixed state have been accumulated on the applied land due to floods; (b) Whether the name of the applicant/applicants is/are recorded as bhumidhars on the applied area; (c) Whether due to accumulation of sand or morrum or Bajri or Boulder or any of these in mixed state, the applicant/applicants is/are suffering loss on account of non-utilisation of such applied land; (d) Whether such land was utilise for agricultural purposes in the past 5 years; (e) Whether the quantity of the minor mineral, applied by the applicant, is available on the applied area. (f) Whether the applied area for mining permit is suitable for mining. (3) In the light of aforementioned point wise report submitted by the Tahsilder/Mines Officer or Mines Inspector, as the case may be, the District Officer may grant the mining permit for a period not more than three months in a Fasli year in favour of the bhumidhar, after realising double the amount of royalty in advance.



8. That from the bare perusal of the aforesaid rule it becomes abundantly clear that the aforesaid short term permit is a permit under rule 52 which is only granted for the disposal of the sand accumulated over the land of farmers post flood.
9. That a such permit under rule 52 is typically issued for a specific period, usually for a short-term project or for a specific purpose (benefitting the recorded bhumidars for removing sand from their lands) It is granted for a limited duration and is

often used for small-scale or temporary operations, whereas a long-term lease or long term permit is an agreement that grants the lessee the right to extract minor minerals from river bed on specific area for a specified period. Such leases are usually granted for a longer duration of time.

10. That the Hon'ble Supreme Court in Deepak Kumar vs. State of Haryana, (2012) 4 SCC 629 has observed :-

*4.3 Period of Mine Lease: The period of lease varies from State to State depending on type of concessions, minerals and its end use. The minimum lease period is one year and maximum 30 years. Minerals like granite where huge investments are required; a period of 20 years is generally given with the provisions of renewal. **Permits are generally granted for short periods which vary from one month to a maximum one year.** In States like Haryana, minor mineral leases are*

be capital intensive industry and considerable time is lost for developing the mine before it attains the status of fully developed mine. If the tenure of the mine lease is short, it would encourage the lessee to concentrate more on rapid exploitation of mineral without really undertaking adequate measures for reclamation and rehabilitation of mined out area, posing thereby a serious threat to the environment and health of the workers and public at large.



bx

There is thus, a need to bring uniformity in the period of lease. It is recommended that a minimum period of mine lease should be 5 years, so that eco friendly scientific and sustainable mining practices are adopted. However, under exceptional circumstances arising due to judicial interventions, short term mining leases / contracts could be granted to the State Agencies to meet the situation arising there from.

11. That the permit granted to the Bhumidars of the agriculture land in terms of Rule 52(1) of the UP Minor Mineral Concession Rules, 2021 for extraction and removal of minor minerals is of short duration i.e. maximum three months and is restricted to the specified land with ceiling put on the quantity of minerals to be extracted and removed and is also confined to specific time period.



That it is further submitted that item 3 in Appendix IX to EIA Notification dated 14.09.2016 [inserted vide S.O 141(E) dated 15th January, 2016 and substituted vide S.O. 3611 (E) dated 25th July,2018 and S.O. 1224(E) dated 28th March 2020] lays down exemption from obtaining prior environment clearance (EC) for removal of sand deposits on agricultural fields. It is further submitted that the said notification does not contain any condition regarding quantity of sand to be removed and


OK

also the period within which the same is to be removed.

Annexure-R-2

13. That serial no.20 of the Management of Sand Deposited after Flood on Agriculture Fields of Farmers and serial no.28 "Exemption of Certain Cases from being considered as Mining and Requirement of Environment Clearance of the Sustainable Sand mining Guidelines 2016 gives exemption from obtaining EC for removal of sand deposited after floods which reads as under-


The Standing Committee on Water Resources on issues, concerning flood management, compensation, and status of ownership of submerged and eroded land in the country including compensation to farmers for loss of their crops destroyed by floods and right to disposal of the sand left in the fields of farmers in its meeting held on 29.04.2015 made observations on this subject. The Committee observed that pursuant to Hon'ble Supreme Court of India decision in "Deepak Kumar Case" in 2012, regulations were framed by the Ministry of Mines to guide environmental clearance of minor minerals. The Committee, therefore, desires the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation to work in close coordination with the Ministry of Mines and Environment, Forest and Climate Change to frame regulations / Guidelines in this regard expeditiously. Mining of Sand The



Committee further observed that due to the floods, the agricultural land of farmer is destroyed and rendered infertile. Further the farmer loses his livelihood as the produce of his land is destroyed by flood and become unsalable. The farmer is also deprived of the right of lifting sand from his land. He is therefore, left helpless and destitute and leave their land in search of job. The Committee observes that "mining operation" means any operation undertaken for the purpose of winning any mineral. Accordingly, if desilting is undertaken perse with the objective of winning a mineral then only it will be construed as a mining operation. Apparently, if the desilting is undertaken not for winning any mineral, it will not be construed as mining operation and therefore, the farmer can remove the sand from the land without requiring the requisite permits. However, the Committee strongly feels that the farmer be given the right to use and dispose-off the sand accumulated over their land post flood, by incorporating the necessary provisions in the Mines and Mineral (Development and Regulation) Act, 1957". **Removal of sand from the agricultural field by the owner farmer of the land from environment point of view will not be considered as mining operation and its removal and disposal can be allowed without the requirement of environment clearance till it is done only to the extent of reclaiming the agricultural land. The sand deposited after flood only**



be removed, so no mining / digging below the ground level is allowed. For removing sand in case where private land has gone into the river due to erosion, the requirement of mining lease and environment clearance will continue. This operation of removal of sand of removal of sand deposited on agricultural field should be done after a mapping of deposition is done by the Land Management Committee of the Gram Panchayat. The sand so deposited post flood can be removed by the farmer owning the land / group of farmers affected by this post flood sand deposition or the Gram Panchayat. Customary rights to remove and dispose off the sand should be given to the farmer affected by deposition of sand on account of sudden flood in his agricultural land.




That the UP Minor Mineral Concession Rules 2021, was notified by the Government of Uttar Pradesh on 29th October 2021 adhering to the 2016 and 2020 guidelines issued by the Ministry of Environment Forest and Climate Change.

15. That the Director Geology and Mining Government of Uttar Pradesh vide its office letter (Government Order) no. 14/2020/2027/86-2019-57(Sa)/2017 dated 30th August 2019 laid down six conditions which are required to be fulfilled before grant of any mining permit (under Rule 52) on agriculture lands. The said letter was addressed to all the

District Magistrates, with a direction to ensure that all the conditions are fulfilled as enumerated in the Government Order before grant of any such mining permit. A copy of letter (Government Order) dated 30th August 2019 is annexed herewith and marked as **Annexure R-3**.

16. That the Director Geology and Mining Government of Uttar Pradesh issued an office order no.659/M-228/2017Mining Policy(5678) dated 17th July 2023, wherein a committee comprising of Concerned Sub Divisional Magistrate, Executive Engineer Irrigation Department, Senior Mines Officer/Mines Officer /Mines Inspector, Forest Ranger has been constituted to access the quantity of minor minerals available on agricultural land outside the river bed, and submit its report to District Magistrate, who may take further decision on grant of mining permit under extant rules on the basis of the said report. A copy of letter dated 17th July 2023 is annexed herewith and marked as **Annexure R-4**.




17. That it is submitted that in District Saharanpur in the year 2023-2024 One Hundred (100) and in the year 2024-2025 Eighty Two (82) mining permits under rule 52 (three months) for removal of sand deposits on agriculture fields have been granted only on the applications (Form MM-8) which have been received by the recorded Bhumidars of agricultural lands. It is further submitted that all the applications were processed after

a detailed report on the availability of sand or morrum or Bajri or Boulder or any of these in mixed state which have been accumulated on such land due to floods was submitted by the Tehsildar and the Committee constituted by the State Government. As an example few copies of Online applications Format which have been received by the recorded Bhumidars of agricultural lands is annexed herewith and marked as **Annexure R-5.**

18. That the deponent has not granted any permit under rule 52 permit without verifying the report of the committee.

19. That this Hon'ble Tribunal vide its order dated 24.04.2024, modified the earlier order dated 07.11.2023 and observed that



45. However, till such time the validity of exemption of short term permits for removal of sand deposited on agricultural land by flood from prior environmental clearance is adjudicated upon, we consider it to be appropriate that order dated 07.11.2023 regarding requirement of EC for the same be modified and Order dated 07.11.2023 is modified accordingly to that extent in respect of "removal of sand deposit on agricultural fields by farmer" which will not require "prior environmental clearance" till further orders to the contrary.

46. However, while granting such short term permits to the farmers for removal of sand deposited on agricultural land by flood, the District Magistrate shall mention environmental safeguards/remedial measures

required to be implemented by the farmers while carrying out sand mining on short term basis (three months) to avoid adverse environmental impact/pollution.

20. That the District Magistrate Saharanpur in compliance of the directives as laid down in the order dated 24.04.2024 passed by this Hon'ble Tribunal issued 82 (mining permit under rule 52) MM-10 in June 2024 to the recorded bhumidars of agriculture lands.

21. That is it further submitted that each MM-10 form lays down stringent conditions with regard to removal of sand deposits manually and decision to grant such permits and time prescribed for such removal is based on the reports submitted by the committee.



22. That it is further submitted that each MM-10 which has been issued by the District Magistrate Saharanpur is accompanied by an annexure 1(serial no 18-28) which specifically provides for environmental safeguards/ remedial measures which are to be strictly implemented by such bhumidar while removing sand by loader. As an exemplar a copy of MM-10 issued to few recorded bhumidars annexed herewith and marked as **Annexure R-6.**

ok

23. That it is submitted that the Applicant No. 5 (Mohit Kumar) in his IA No.94/2024 in paragraph 28 has submitted that Heavy Chain Mounted Machineries are being used for mining and excavating, and has placed reliance on geo-tagged site photographs. At the outset it is most respectfully submitted that the photograph annexed as Annexure 4 (Page 2769) of the said IA does not have any geo tagging, hence it cannot be said that it is being used in District Saharanpur.

24. That as a matter of fact no illegal sand mining is being carried out in the alleged areas on the basis of MM-10 permits. However during surprise inspections where terms and conditions of MM-10 have been violated by the recorded bhumidars, who have removed the sand outside the allocated area prompt action has been initiated by the District Administration Saharanpur as per law.



25. That the deponent most humbly submits before this Hon'ble Tribunal that the District Administration is very conscious and vigilant about grant of short term mining permits and its misuse. The State Government undertakes before this Hon'ble Tribunal that it will leave no stone unturned in ensuring that the provision of Rule 52 is not violated by the recorded bhumidar, and removal of sand deposits from agricultural lands

[Handwritten signature]

is done within the ambit of Provisions of Rule 52 of the UP
Minor Mineral Concession Rules 2021.

Ken

DEPONENT

Verification

I, the deponent above named do hereby verify and state that
the contents of the foregoing paragraphs of the above
application are true to the best of my knowledge and belief, no
part of it is false and nothing material has been concealed
there from.

On this day of , 2024.

Ken

DEPONENT



IDENTIFIED BY

Ken
KALEEM AHMAD
Advocate
Reg. No.-10533/01
Ch.-63, Civil Court, SRE
Mob.-9359206239

Page 4587

*This affidavit is made before me today
is my office at 11/12/2024 A.M. at 11
By Shri. Manish Bansal, Saharanpur
who is identified by Shri. Kaleem Ahmad
The contents of the affidavit have been
checked by me and the deponent who submit
to me and I have signed them.
Saharanpur
11/12/2024
Kaleem Ahmad
Advocate & Notary*

2810

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 462 OF 2023



IN THE MATTER OF:

Raja Ram Singh

...Applicant

Versus

State of U.P.

....Respondent

WITH

ORIGINAL APPLICATION NO. 481 OF 2023

Balbir Sandhu

..... Applicant


Versus

State of U.P. & Anr

.....Respondent

AFFIDAVIT

I, Manish Bansal, S/o Ram Avtar Bansal presently posted as District Magistrate Saharanpur, State of Uttar Pradesh do hereby solemnly affirm and state as under -



That I am fully acquainted with the facts, circumstances and records of the instant case.

2. That I further state that the averments made in the application have been thoroughly read and understood by me and thereby I declare that the application has been prepared on my instructions.

Manish



3. That the contents of the accompanying application are all true to my knowledge and the rest are on information derived from papers of the case and believed by me to be true.

[Handwritten signature]

DEPONENT

Verification:

I, the deponent above named do hereby verify and state that the contents of the foregoing paragraphs of the above Affidavit are true to the best of my knowledge and belief, no part of it is false and nothing material has been concealed therefrom. Verified by me. on this day of ,

[Handwritten signature]

DEPONENT



IDENTIFIED BY
[Handwritten signature]
KALEEM AHMAD
Advocate
Reg. No.-10533/01
Ch.-63, Civil Court, SRE
Mob.-9359206239

210 4588

This affidavit is made before me today
is my office to 11 A.M. 7/9/24
By *[Handwritten signature]* Sri. Mohanish Bansal, Advocate
who is identified by *[Handwritten signature]* Sri. Kaleem Ahmad
The contents of the affidavit have been
explained to the deponent who admits
to understand them.
Saharanpur Kaleem Ahmad
7/9/2024 Advocate & Notary

Item Nos.11 & 12

Court No. 2

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

Original Application No. 462/2023

Raja Ram Singh

Applicant

Versus

State of U.P.

Respondent

WITH

Original Application No. 481/2023
(IA NO 93/2024,IA NO 70/2024)

Balbir Sandhu

Applicant

Versus

State of U.P. & Anr.

Respondent

Date of hearing: 12.08.2024

**CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE SUDHIR AGARWAL JUDICIAL MEMBER
HON'BLE DR. AFROZ AHMAD, EXPERT MEMBER**

Item No.11

Applicant: None for the applicant.

Respondents: Mr. Ankit Verma, Advocate for Respondents No. 1 & 3.
Mr. Mukesh Verma and Ms. Vatsala Tripathi, Advocates for Respondent No. 2
Mr. Pradeep Misra Advocate for Respondent No. 4 (through VC).
Mr. Sharad Chauhan Advocate for Respondent No. 5.
Mr. Hem Chandra Joshi Advocate for Respondent No. 6 (through VC).
Dr. Sapna Aggarwal Advocate for Respondent no. 7 (through VC).
Mr. Raj Kumar, Advocate for Respondent No. 8 (through VC).

Item No.12Applicant: None for the applicant.
Ms. Pushpila Bisht, and Mr. Shubham Karnwal, Advocates for Applicant No. 5 (through VC)

Respondents: Mr. Ankit Verma, Advocate for respondents no. 1 to 3 and 5
Mr. Pradeep Misra, Advocate for respondent no. 4 (through VC)
Mr. Rahul Khurana, Advocate for respondents no. 6 to 10.
Mr. Narender Pal Singh, Mr. Hasil Jain and Mr. Divyesh Pant Advocates for respondent No. 11- Memta
Mr. Vanshdeep Dalmiya and Ms. Anisha Jain Advocates for respondent No. 12-Salim
Mr. Atif Suhrawardy and Mr. Pankaj Kumar, Advocates for CPCB (through VC).
Ms. Suhasini Sen and Ms. Surbhi Advocates for MoEF & CC(Through VC)

ORDER

1. Issues raised in both the matters are common.
2. In Original Application No. 481/2023, applicant has filed written objection dated 09.08.2024 but copy thereof has not been served upon respondents. Let copy of the same be served upon all the respondents within three days.
3. Respondents may file their response, if any, within two weeks.
4. Learned counsel for State of U.P and District Magistrate are directed to place on record the provision whereunder alleged short term permits can be issued permitting mining without obtaining prior Environmental Clearance (hereinafter referred to as 'EC') though under Environment Impact Assessment Notification dated 14.09.2006 as amended from time to time. There is no distinction with regard to 'short term permit' and 'long term permit' and if any mining permit is to be issued, it will require prior EC.
5. We also make it clear that in case any illegal permit is issued, concerned District Magistrate shall be personally responsible for the consequences.
6. List on 13.09.2024.

Sudhir Agarwal, JM

Dr. Afroz Ahmad, EM

August 12, 2024
Original Application No. 462/2023 & connected matter
AB



भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28032020-218948
CG-DL-E-28032020-218948

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1088]

नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 28, 2020/चैत्र 8, 1942

No. 1088]

NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 28, 2020/CHAITRA 8, 1942

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2020

का.आ. 1224(अ).—खनिज विधि (संशोधन) अधिनियम 2020 (2020 का 2), खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) (जिसे इसमें इसके पश्चात् एमएमडीआर अधिनियम कहा गया है) द्वारा 10 जनवरी, 2020 से प्रभावी संशोधन किया गया है और अन्य बातों के साथ कानूनी निर्वाधन के अंतरण के लिए उपबंधों से संबंधित नई धारा 8ख का अंतःस्थापन किया गया है;

और, एमएमडीआर अधिनियम की धारा 8ख की उप-धारा (2) यह उपबंध करता है कि इस अधिनियम में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, धारा 8क की उप-धारा (5) और उप-धारा (6) के उपबंधों के अधीन अवसान होने वाले खनन पट्टे का सफल बोली लगाने वाला और उस अधिनियम के अधीन या तद्दीन बनाए गए नियमों के अधीन उपबंधित प्रक्रिया के अनुसार नीलामी के माध्यम से अर्जित सभी विधिमान्य अधिकार, अनुमोदन, निकासी, अनुज्ञप्ति और इसी प्रकार दो वर्ष की अवधि के लिए पूर्ववर्ती पट्टेदार पर निहित होना समझा जाएगा;

और, एमएमडीआर अधिनियम की धारा 8ख की उप-धारा (3) यह उपबंध करता है कि तत्समय प्रवृत्त अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यह उस भूमि पर जिसमें नया पट्टा के प्रारंभ से दो वर्ष की अवधि के लिए पूर्ववर्ती पट्टेदार द्वारा खनन संक्रियाएं कार्यान्वित किए जा रहे थे, निरंतर खनन संक्रियाओं को नए पट्टेदार के लिए विधिपूर्ण किया जाएगा;

और, एमएमडीआर अधिनियम को पूर्वोक्त संशोधन के प्रयोजन के लिए केंद्रीय सरकार, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 1533 (अ), तारीख 14 गिंतंबर, 2006 (जिसे हममें हमके पश्चात् ईआईए अधिसूचना, 2006 कहा गया है) के सुसंगत उपबंधों को सम्मिलित करने के लिए आवश्यक समझती है।

और, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में सड़कों के लिए साधारण पृथ्वी का उपयोग करने के लिए पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति की अपेक्षा के अधित्याग के लिए अभ्यावेदनों की प्राप्ति पर; और पारंपरिक समुदाय द्वारा अंतर ज्वारीय क्षेत्र के भीतर चूने के गोले (मृत भू-पटल), पवित्र स्थानों, आदि के मनुअल निकासी;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लोकहित में, उक्त नियमों के नियम 5 के उप-नियम (3) के खंड (क) के अधीन सूचना की अपेक्षा में अभिमुक्ति के पश्चात् और अधिसूचना सं. का. आ. 4307 (अ), तारीख 29 नवंबर, 2019 को अधिकांत करते हुए, ईआईए अधिसूचना, 2006 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, -

(i) पैरा 11 में, उप-पैरा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उप-पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(3) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 8क की उप-धारा (5) और उप-धारा (6) के उपबंधों के अधीन अवसान होने वाले खनन पट्टे का सफल बोली लगाने वाला और उस अधिनियम के अधीन और तद्दीन बनाए गए नियमों के अधीन उपबंधित प्रक्रिया के अनुसार नीलामी के माध्यम से चयनित नया पट्टा के प्रारंभ की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए पूर्ववर्ती पट्टेदार पर निहित पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति विधिमान्य अर्जित किया गया समझा जाएगा और यह नया पट्टा प्रारंभ की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए या उसमें उल्लिखित निबंधनों शर्तों के अनुसार नया पर्यावरणीय अनापत्ति, नया निकासी अभिप्राप्त होने तक, इसमें से जो भी पूर्वतर हो, उक्त पट्टा क्षेत्र पर पूर्ववर्ती पट्टेदार का स्वीकृत पर्यावरणीय अनापत्ति के निबंधनों और शर्तों के अनुसार निरंतर खनन संक्रिया नया पट्टेदार के लिए विधिपूर्ण होंगी;

परन्तु, सफल बोली लगाने वाला नया पट्टा मंजूर करने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर विनियामक प्राधिकरण से पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति के लिए आवेदन करेगा और अभिप्राप्त करेगा।”;

(ii) अनुसूची के मद 1 (क) के सामने, स्तंभ (5) के खंड (2) के टिप्पण के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(3) उक्त पट्टा के अवसान के पश्चात् पूर्ववर्ती पट्टेदार द्वारा खनन और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) के उपबंधों के अधीन खनन पट्टे के अवसान होने तक भीतर पड़ी पहले से ही खनिज वाह्य सामग्री का निष्क्रमण या निष्कासन और परिवहन उस अधिनियम के अधीन और तद्दीन बनाए गए नियमों के अधीन उपबंधित प्रक्रिया के अनुसार नीलामी के माध्यम से चयनित सफल बोली लगाने की इस प्रकार अनुज्ञात खनन हैसियत के भाग के रूप में नहीं होगा।”

(iii) परिशिष्ट – IX के लिए, निम्नलिखित परिशिष्ट प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परिशिष्ट – 9

कतिपय मामलों के पर्यावरणीय अनापत्ति की अपेक्षा से छूट

निम्नलिखित मामलों को पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति की अपेक्षा नहीं होगी, अर्थात् :-

1. मनुअल खनन द्वारा साधारण मिट्टी या बालू की कुम्हारों द्वारा मिट्टी के घड़े, लैम्प, खिलौने, आदि बनाने के लिए उनकी प्रथाओं के अनुसार निकासी।
2. मनुअल खनन द्वारा मिट्टी की टाइलें बनाने द्वारा जो मिट्टी की टाइलें बनाते हैं, के लिए साधारण मिट्टी या बालू की निकासी।
3. किसानों द्वारा वाहक के पश्चात् कृषि भूमि से बालू के जमाव को हटाना।

4. ग्राम पंचायत में अवस्थित स्रोतों से बालू और साधारण मिट्टी को वैयक्तिक उपयोग या ग्राम में समुदाय कार्य के लिए प्रथा के अनुसार खनन।
5. सामुदायिक कार्य जैसे ग्रामीण तालाबों या टैंकों से गाढ़ हडाना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार और गारंटी स्कीमों, अन्य सरकारी स्कीमों, प्रायोजित तथा सामुदायिक प्रयासों द्वारा ग्रामीण सड़कों, तालाबों या बांधों का संनिर्माण।
6. सड़क, पाइपलाइन, आदि जैसे रेखीय परियोजनाओं के लिए साधारण मिट्टी की निकासी, निष्कासन या प्रयोग करना।
7. बांधों, तालाबों, मेड़ों, बैराजों, नदी और नहरों की उनके अनुरक्षित तथा आपदा प्रबंधन के प्रयोजन के लिए तलमार्जन और गाढ़ निकालना।
8. गुजरात में गुजरात सरकार की तारीख 14 फरवरी, 1990 की अधिसूचना सं. जीयू / 90 (16)/ एमसीआर-2189 (68) / 5 - सीएचएच द्वारा बंजारा और ओड द्वारा बालू के पारंपरिक उपजीविका कार्य।
9. पारंपरिक समुदाय द्वारा अंतर ज्वारीय क्षेत्र के भीतर चूने के गोलों (मूल भू-पटल), पवित्र स्थानों, आदि के मैन्युअल निकासी।
10. सिंचाई या पेयजल के लिए कुओं की खुदाई।
11. यथास्थिति, ऐसे भवनों की नींव के लिए खुदाई जिनके लिए पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति अपेक्षित नहीं है।
12. जिला कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी के आदेश पर किसी नहर, नाला, ड्रेन, जल निकास, आदि में होने वाली दरार को भरने के लिए साधारण मिट्टी या बालू का उत्खनन ताकि किसी आपदा या बाढ़ जैसी स्थिति से निपटा जा सके।
13. ऐसे क्रियाकलाप, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा विधान या नियमों के अधीन गैर खननकारी क्रियाकलाप के रूप में घोषित किया गया है।”

[फा. सं. जेड-11013 / 47 / 2018-आई. ए. II (एम)]

गीता मेनन, संयुक्त सचिव

2816

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में सं. का. आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितंबर 2006 द्वारा प्रकाशित की गई थी और निम्नलिखित सं. द्वारा पश्चात्कर्ती संशोधन किया गया :-

1. का. आ. 1949 (अ), तारीख 13 नवंबर, 2006;
2. का. आ. 1737 (अ), तारीख 11 अक्टूबर, 2007;
3. का. आ. 3067 (अ), तारीख 1 दिसंबर, 2009;
4. का. आ. 695 (अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011;
5. का. आ. 156 (अ), तारीख 25 जनवरी, 2012;
6. का. आ. 2896 (अ), तारीख 13 दिसंबर, 2012;
7. का. आ. 674 (अ), तारीख 13 मार्च, 2013;
8. का. आ. 2204 (अ), तारीख 19 जुलाई, 2013;
9. का. आ. 2555 (अ), तारीख 21 अगस्त, 2013;
10. का. आ. 2559 (अ), तारीख 22 अगस्त, 2013;
11. का. आ. 2731 (अ), तारीख 9 सितंबर, 2013;

12. का. आ. 562 (अ), तारीख 26 फरवरी, 2014;
13. का. आ. 637 (अ), तारीख 28 फरवरी, 2014;
14. का. आ. 1599 (अ), तारीख 25 जून, 2014;
15. का. आ. 2601 (अ), तारीख 7 अक्टूबर, 2014;
16. का. आ. 2600 (अ), तारीख 9 अक्टूबर, 2014;
17. का. आ. 3252 (अ), तारीख 22 दिसंबर, 2014;
18. का. आ. 382 (अ), तारीख 3 फरवरी, 2015;
19. का. आ. 811 (अ), तारीख 23 मार्च, 2015;
20. का. आ. 996 (अ), तारीख 10 अप्रैल, 2015;
21. का. आ. 1142 (अ), तारीख 17 अप्रैल, 2015;
22. का. आ. 1141 (अ), तारीख 29 अप्रैल, 2015;
23. का. आ. 1834 (अ), तारीख 6 जुलाई, 2015;
24. का. आ. 2571 (अ), तारीख 31 अगस्त, 2015;
25. का. आ. 2572 (अ), तारीख 14 सितंबर, 2015;
26. का. आ. 141 (अ), तारीख 15 जनवरी, 2016;
27. का. आ. 648 (अ), तारीख 3 मार्च, 2016;
28. का. आ. 2269 (अ), तारीख 1 जुलाई, 2016;
29. का. आ. 2944 (अ), तारीख 14 सितंबर, 2016;
30. का. आ. 3518 (अ), तारीख 23 नवंबर, 2016;
31. का. आ. 3999 (अ), तारीख 9 दिसंबर, 2016;
32. का. आ. 4241 (अ), तारीख 30 दिसंबर, 2016;
33. का. आ. 3611 (अ), तारीख 25 जुलाई, 2018;
34. का. आ. 3977 (अ), तारीख 14 अगस्त, 2018;
35. का. आ. 5733 (अ), तारीख 14 नवंबर, 2018;
36. का. आ. 5736 (अ), तारीख 15 नवंबर, 2018;
37. का. आ. 5845 (अ), तारीख 26 नवंबर, 2018;
38. का. आ. 345 (अ), तारीख 17 जनवरी, 2019;
39. का. आ. 1960 (अ), तारीख 13 जून, 2019;
40. का. आ. 236 (अ), तारीख 16 जनवरी, 2020;
41. का. आ. 751 (अ), तारीख 17 फरवरी, 2020; और
42. का. आ. 1223 (अ), तारीख 27 मार्च, 2020।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th March, 2020

S.O. 1224(E).—WHEREAS, *vide* the Mineral Laws (Amendment) Act, 2020 (2 of 2020), the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957) (hereinafter referred to as MMDR Act) has been amended with effect from the 10th day of January, 2020 and, *inter alia*, new section 8B relating to the provisions for transfer of statutory clearances has been inserted;

AND WHEREAS, sub-section (2) of section 8B of the MMDR Act provides that notwithstanding anything contained in this Act or any other law for the time being in force, the successful bidder of mining leases expiring under the provisions of sub-sections (5) and (6) of section 8A and selected through auction as per the procedure provided under this Act and the rules made thereunder, shall be deemed to have acquired all valid rights, approvals, clearances, licences and the like vested with the previous lessee for a period of two years;

AND WHEREAS, sub-section (3) of section 8B of the MMDR Act provides that notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, it shall be lawful for the new lessee to continue mining operations on the land, in which mining operations were being carried out by the previous lessee, for a period of two years from the date of commencement of the new lease;

AND WHEREAS, in pursuance of the aforesaid amendment to the MMDR Act, the Central Government deems it necessary to align the relevant provisions of the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 (hereinafter referred to as the EIA Notification, 2006):

AND WHEREAS, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change is in the receipt of representations for waiver of requirement of prior environmental clearance for borrowing of ordinary earth for roads; and manual extraction of lime shells (dead shell), shrines, etc., within inter tidal zone by the traditional community;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government, after having dispensed with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of the rule 5 of the said rules, in public interest, and in supersession of the notification number S.O. 4307(E), dated the 29th November, 2019, hereby makes the following further amendments in the EIA Notification, 2006, namely:-

In the said notification,-

(i) in paragraph 11, after sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be inserted, namely:-

“(3) The successful bidder of the mining leases, expiring under the provisions of sub-sections (5) and (6) of section 8A of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957) and selected through auction as per the procedure provided under that Act and the rules made thereunder, shall be deemed to have acquired valid prior environmental clearance vested with the previous lessee for a period of two years, from the date of commencement of new lease and it shall be lawful for the new lessee to continue mining operations as per the same terms and conditions of environmental clearance granted to the previous lessee on the said lease area for a period of two years from the date of commencement of new lease or till the new lessee obtains a fresh environmental clearance with the terms and conditions mentioned therein, whichever is earlier:

Provided that the successful bidder shall apply and obtain prior environmental clearance from the regulatory authority within a period of two years from the date of grant of new lease.”;

(ii) in the Schedule, against the item 1(a), in the column (5), after clause (2) of the Note, the following clause shall be inserted, namely:-

“(3) The evacuation or removal and transportation of already mined out material lying within the mining leases expiring under the provisions of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), by the previous lessee, after the expiry of the said lease, shall not form the part of the mining capacity so permitted to the successful bidder, selected through auction as per the procedure provided under that Act and the rules made thereunder.”;

(iii) for Appendix-IX, the following Appendix shall be substituted, namely:-

"APPENDIX-IX

EXEMPTION OF CERTAIN CASES FROM REQUIREMENT OF ENVIRONMENTAL CLEARANCE

The following cases shall not require Prior Environmental Clearance, namely:-

1. Extraction of ordinary clay or sand by manual mining, by the Kumhars (Potter) to prepare earthen pots, lamp, toys, etc. as per their customs.
2. Extraction of ordinary clay or sand by manual mining, by earthen tile makers who prepare earthen tiles.
3. Removal of sand deposits on agricultural field after flood by farmers.
4. Customary extraction of sand and ordinary earth from sources situated in Gram Panchayat for personal use or community work in village.
5. Community works, like, de-silting of village ponds or tanks, construction of village roads, ponds or bunds undertaken in Mahatma Gandhi National Rural Employment and Guarantee Schemes, other Government sponsored schemes and community efforts.
6. Extraction or sourcing or borrowing of ordinary earth for the linear projects such as roads, pipelines, etc.
7. Dredging and de-silting of dams, reservoirs, weirs, barrages, river and canals for the purpose of their maintenance, upkeep and disaster management.
8. Traditional occupational work of sand by Vanjara and Oads in Gujarat vide notification number GU/90(16)/MCR-2189(68)/5-CHH, dated the 14th February, 1990 of the Government of Gujarat.
9. Manual extraction of lime shells (dead shell), shrines, etc., within inter tidal zone by the traditional community.
10. Digging of wells for irrigation or drinking water purpose.
11. Digging of foundation for buildings, not requiring prior environmental clearance, as the case may be.
12. Excavation of ordinary earth or clay for plugging of any breach caused in canal, nallah, drain, water body, etc., to deal with any disaster or flood like situation upon orders of the District Collector or District Magistrate or any other Competent Authority.
13. Activities declared by the State Government under legislations or rules as non-mining activity."

[F. No. Z-11013/47/2018-IA.II (M)]

GEETA MENON, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and subsequently amended vide the following numbers:-

1. S.O. 1949 (E), dated the 13th November, 2006;
2. S.O. 1737 (E), dated the 11th October, 2007;
3. S.O. 3067 (E), dated the 1st December, 2009;
4. S.O. 695 (E), dated the 4th April, 2011;
5. S.O. 156 (E), dated the 25th January, 2012;
6. S.O. 2896 (E), dated the 13th December, 2012;
7. S.O. 674 (E), dated the 13th March, 2013;
8. S.O. 2204 (E), dated the 19th July, 2013;
9. S.O. 2555 (E), dated the 21st August, 2013;
10. S.O. 2559 (E), dated the 22nd August, 2013;
11. S.O. 2731 (E), dated the 9th September, 2013;
12. S.O. 562 (E), dated the 26th February, 2014;
13. S.O. 637 (E), dated the 28th February, 2014;

14. S.O. 1599 (E), dated the 25th June, 2014;
15. S.O. 2601 (E), dated the 7th October, 2014;
16. S.O. 2600 (E), dated the 9th October, 2014;
17. S.O. 3252 (E), dated the 22nd December, 2014;
18. S.O. 382 (E), dated the 3rd February, 2015;
19. S.O. 811 (E), dated the 23rd March, 2015;
20. S.O. 996 (E), dated the 10th April, 2015;
21. S.O. 1142 (E), dated the 17th April, 2015;
22. S.O. 1141 (E), dated the 29th April, 2015;
23. S.O. 1834 (E), dated the 6th July, 2015;
24. S.O. 2571 (E), dated the 31st August, 2015;
25. S.O. 2572 (E), dated the 14th September, 2015;
26. S.O. 141 (E), dated the 15th January, 2016;
27. S.O. 648 (E), dated the 3rd March, 2016;
28. S.O. 2269(E), dated the 1st July, 2016;
29. S.O. 2944(E), dated the 14th September, 2016;
30. S.O. 3518 (E), dated 23rd November 2016;
31. S.O. 3999 (E), dated the 9th December, 2016;
32. S.O. 4241(E), dated the 30th December, 2016;
33. S.O. 3611(E), dated the 25th July, 2018;
34. S.O. 3977 (E), dated the 14th August, 2018;
35. S.O. 5733 (E), dated the 14th November, 2018;
36. S.O. 5736 (E), dated the 15th November, 2018;
37. S.O. 5845(E), dated the 26th November, 2018;
38. S.O. 345(E), dated the 17th January, 2019;
39. S.O. 1960(E), dated the 13th June, 2019;
40. S.O. 236(E), dated the 16th January, 2020;
41. S.O. 751(E), dated the 17th February, 2020; and
42. S.O. 1223(E), dated the 27th March, 2020.

पेपक,

डा0 रोशन जैकब,
विशेष सचिव,
उ0प0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।

भूतत्व एवं खनिकर्मा अनुभाग

लखनऊ, दिनांक : 30 अगस्त, 2019

विषय- भूमिधरी कृषिकीय भूमि पर वाढ के कारण जमा बालू/मौरम/बजरी/बोल्डर या इनमें से कोई भी, जो मिली जुली अवस्था में हो, को हटाकर भूमि को कृषि योग्य बनाने हेतु खनन अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति।

महोदय

उपरोक्त विषय से सम्बन्धित शासनादेश सं0-2883/86-2017-198/2011टीसी-1, दिनांक 02 नवम्बर, 2017 द्वारा उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली-1963 के नियम-52क में कृषि भूमि के भूमिधर द्वारा भूमि पर वाढ के कारण जमा बालू/मौरम को हटाने के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किया गया है। अधिसूचना सं0-1868/86-2019-57(सा0)/2017, दिनांक 13.08.2019 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) (47वां संशोधन) नियमावली-2019 का नियम-52क निम्नवत् है:-

52क- कृषिकीय भूमि पर खनन अनुज्ञा पत्र स्वीकृत करने की प्रक्रिया:-

- (1) नियम-72 में किसी बात के होते हुए कृषि भूमि का भूमिधर अपनी कृषि भूमि पर वाढ के कारण जमा बालू या मौरम या बजरी या बोल्डर या इनमें से कोई भी जो मिलीजुली अवस्था में हो, को हटाने के लिये खनन अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति हेतु प्रपत्र एम0एम0-8 पर तीन प्रतियाँ में ₹0-2000/- (रुपये दो हजार) मात्र की फीस एवं भू-कर सर्वेक्षण मानचित्र की दो प्रतियाँ, जिसमें आवेदित क्षेत्र स्पष्ट रूप में चिह्नित हो, में आवेदन जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।
- (2) जिलाधिकारी यदि आवश्यक समझे तब सम्बन्धित तहसीलदार और खान अधिकारी/खान निरीक्षक के द्वारा निम्नलिखित बिन्दुओं पर जाँच करा सकता है -
 - (क) क्या बालू या मौरम या बजरी या बोल्डर या इनमें से कोई भी जो मिली जुली अवस्था में हो, आवेदित भूमि पर वाढ के कारण जमा हुए हैं,
 - (ख) क्या आवेदक/आवेदको का/के नाम आवेदित क्षेत्र में भूमिधर के रूप में अभिलिखित है/हैं,
 - (ग) क्या बालू या मौरम या बजरी या बोल्डर या इनमें से कोई भी जो मिली जुली अवस्था में हो, के जमाव के कारण आवेदक/आवेदकगण आवेदित क्षेत्र के उपयोग न किये जाने पर क्षति वहन कर रहा/रहे है,
 - (घ) क्या ऐसी भूमि विगत 05 वर्षों में कृषि कार्य हेतु उपयोग की जा रही थी,
 - (ङ) क्या आवेदक द्वारा उपखनिज की आवेदित मात्रा आवेदित क्षेत्र में उपलब्ध है,
 - (च) क्या खनन अनुज्ञा पत्र का आवेदित क्षेत्र खनन हेतु उपयुक्त है?
- (3) उपर उल्लिखित तहसीलदार/खान अधिकारी या खान निरीक्षक जैसाकि अभिप्रेत हो, कि बिन्दुवार आख्या के प्रकाश में जिलाधिकारी एक फसली वर्ष में तीन माह से अनाधिक अवधि के लिये भूमिधर के पक्ष में स्वामित्व की दो गुनी धनराशि को अग्रिम रूप में जमा कराकर खनन अनुज्ञा पत्र स्वीकृत कर सकता है।
- (4) सिवाय उपरिलिखित उपबन्धों के इस नियमावली के अन्य उपबन्ध, इस नियम के अधीन स्वीकृत खनन अनुज्ञा पत्र पर आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

102

2. अतः वर्णित स्थिति में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भूमिधर कृषकों को अपनी कृषि भूमि पर बाढ़ के कारण जमा बालू या मोरम या बजरी या बोल्टर या इनमें से कोई भी, जो मित्तीजुली अवस्था में हो, को हटाकर भूमि को कृषि योग्य बनाने हेतु प्रशगनत नियमावली के उपरिलिखित प्राविधानों और उपखनिजों के परिवहन आदि के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत अद्यतन निर्देशों के अनुसार अनुज्ञा-पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय

(डा० रोशन जैकब)

विशेष सचिव।

संख्या- 2027(1)/86-2019-57(सा०)/2017 तददिनांक।

पतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त मण्डलायुक्त, 30प्र०।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, 30प्र०, लखनऊ को उनके पत्र सं०-799/एम-1ए 15/2019 (VII) दिनांक 19.08.2019 के संदर्भ में।
3. समस्त प्रभारी अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, 30प्र०।
4. समस्त जनपदीय ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी/खान निरीक्षक (द्वारा-निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, 30प्र०, लखनऊ)।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हृदय नारायण सिंह यादव)

अनु सचिव।

2823

प्रेषक,

निदेशक,

भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, ज०प्र०,

खनिज भवन, लखनऊ।

सोपा में,

सगरसत जिलाधिकारी,

उत्तर प्रदेश।

संख्या: 654/एम०-228/2017 खनन नीति(VIII)

दिनांक: 17 जुलाई, 2023

विषय: निजी भूमि में बालू/गोरग/बजरी/बोल्डर अथवा इनमें से कोई गिली जुली अवस्था में उपलब्ध हो, में खनन अनुज्ञा पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 अधिसूचना दिनांक 29.10.2021 द्वारा प्रख्यापित की गयी है।

नियमावली-2021 के नियम-23(ड.) में नदी तल स्थित निजी भूमि के क्षेत्र, जो न्यूनतम 01 हेक्टेयर हो, जिसमें बालू या मोरम या बजरी या बोल्डर या इनमें से कोई भी गिली जुली

-ADM(A&K) अवस्था में हो, को अधिकतम छः माह की अवधि के लिए ई-निविदा के माध्यम से परिहार

-खनन नीति पर स्वीकृत किये जाने का प्राविधान है। इसी प्रकार नियमावली-2021 के नियम-52 में

कृषि भूमि का भूमिधर अपनी भूमि पर जमा बालू या मोरम या बजरी या बोल्डर या इनमें से कोई भी गिली जुली अवस्था में हो, को हटाने हेतु स्वामित्व की दोगुनी धनराशि को

6. अनुपालन अग्रिम रूप से जमा कराकर अधिकतम तीन (03) माह की अवधि हेतु अनुज्ञा पत्र स्वीकृत किये जाने के प्राविधान है।

2. निदेशालय के सज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि कतिपय प्रकरणों में नदी तल में भी नियम-52 के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र स्वीकृत किये जा रहे हैं, जिससे प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया नहीं होने के कारण राजस्व की क्षति होने के साथ-साथ नदियों की पर्यावरणीय क्षति की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

3. पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी का संतुलन बनाये जाने तथा राजस्व क्षति को रोकने हेतु यह उपयुक्त होगा की:-

(क) नदी तल में स्थित निजी भूमि पर खनन अनुज्ञा पत्र नियमावली-2021 के नियम-23 (ड.) के प्राविधानों के अन्तर्गत ही स्वीकृत किये जायें।

(ख) नियमावली-2021 के नियम-52 के प्राविधानों के अनुसार कृषि भूमि अनुज्ञा पत्र हेतु आवेदन पत्र प्राप्त होने पर क्षेत्र के नदी तल से बाहर स्थित होने एवं खनन योग्य मात्रा का आंकलन निम्न समिति द्वारा किया जाये:-

.....2

-2-

A.O.M(A)
SRE
19/7/2023

R-Poster-5

1.	सम्बन्धित उप जिलाधिकारी
2.	सम्बन्धित अधिशाही अभियन्ता, सिवाई एवं जल संसाधन विभाग
3.	जनपदीय ज्येष्ठ खान अधिकारी / खान अधिकारी / खान निरीक्षक
4.	सम्बन्धित वन क्षेत्राधिकारी

गठित समिति की संस्तुति अधिकतम 15 कार्य दिवसों में दी जायेगी जिसका आधार पर जिलाधिकारी द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत कृषि भूमि पर खनन अनुज्ञा पत्र स्वीकृत की जायेगी।

अतः अपेक्षा है कि उपरोक्तानुसार नियम-23(ड.) के अन्तर्गत नदी तल स्थित निजी भूमि तथा नियम-52 के अन्तर्गत कृषि भूमि पर भू-स्वामी के पक्ष में खनन अनुज्ञा पत्र निर्गत करने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

गवदीय,

(डा० रोशन जैकब)
निदेशक।

संख्या: /एम०-228/2017 खनन नीति(VIII) तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त प्रभारी अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ०प्र०।
4. समस्त जनपदीय अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ०प्र०।

(डा० रोशन जैकब)
निदेशक।

(R.D.M.R.)

783

lor

आवेदक :-

आवेदक का नाम :- MASRUF

पिता का नाम :- AYYUB

जनपद :- SAHARANPUR

तहसील :- SAHARANPUR

आवेदक का पता :- VILL MANJHAR PARGANA

SULTANPUR DISTT SAHARANPUR

लिंग :- MALE

आवेदक का मोबाइल :-

आवेदक का ईमेल :-

खनिज जिसका प्रार्थी खनन करना चाहता है :-

खनिज का नाम :- बालू, बजरी, बोल्टर

खनिज की मात्रा :- 49000.00 (घन मी०)

खनन का प्रयोजन :-

अवधि जिसके लिए अनुज्ञप्ति अपेक्षित है :- 3(माह)

आवश्यक अभिलेख :-

1. आवेदन मुक्त के तालान न्यूनतम (कानून 1/0)

AKV230037455)

2. भूकर मूल्यांकन मानकित (खसरा/मानकित) जिनमें

आवेदित क्षेत्र संपन्न रूप से प्रिकॉकृत है।

3. आवेदित क्षेत्र की खसरा/खसरी अफवाह

4. आवेदक/भूस्वामी का फोटो मुक्त परावरण पर अपवाद

क्षेत्र का विवरण :-

#	भूस्वामी/भूस्वामियों का नाम	तहसील	ग्राम	खसरा संख्या	गाटा संख्या/खण्ड संख्या	क्षेत्रफल(हेक्टेयर में)	अवस्थान
1	MASRUF AND OTHERS	SAHARANPUR	MANJHAR	1/217		2.3900	

वापस

✓ आवेदन जमा करें

आवेदक :-

आवेदक का नाम :- NARESH KUMAR

पिता का नाम :- BARU

जनपद :- SAHARANPUR

तहसील :- BEHAT

आवेदक का पता :- VILL BELGARH

DEODHAR 72 YAMUNANAGAR

HRYANA 135021

लिंग :- MALE

आवेदक का मोबाइल :- 9548230733

आवेदक का ईमेल :-

खनिज जिसका प्रार्थी खनन करना चाहता है :-

खनिज का नाम :- बालू, बजरी, बोट्टर

खनिज की मात्रा :- 45000.00 (घन मी०)

खनन का प्रयोजन :-

अवधि जिसके लिए अनुज्ञप्ति अपेक्षित है :-

3(माह)

आवश्यक अभिलेख :-

1. आवेदन शुल्क के चालान अपलोड (चालान नं०:

AKV240010521)

2. भूकर सर्वेक्षण मानचित्र (खसरा/मानचित्र) जिसमें आवेदित क्षेत्र स्पष्ट रूप से चिह्नित हो

3. आवेदित क्षेत्र की खसरा/खतीनी अपलोड

4. आवेदक/भूस्वामी का फोटोयुक्त पहचान पत्र अपलोड

तहसीलदार की रिपोर्ट का दस्तावेज़ :-

अपलोड दिनांक :-

दिनांक :-

क्या आवेदक का/आवेदकों के नाम आवेदित क्षेत्र में भूमिधर के रूप में अभिलिखित है?(हाँ/नहीं):-हाँ

प्रस्तावित क्षेत्र से ५० मीटर के अन्दर कोई सार्वजनिक, भवन, जलाशय, मंदिर, तलाब, टॉवर, जंगल, पूरणत्व विभाग की इमारत आदि नहीं है? -(हाँ/नहीं):-नहीं

टिप्पणी :-

1. तहसीलदार की रिपोर्ट

13-05-2024

13-05-2024

क्षेत्र का विवरण :-

#	भूस्वामी/भूस्वामियों का नाम	तहसील	ग्राम	खसरा संख्या	गाटा संख्या/खण्ड संख्या	क्षेत्रफल(हेक्टेयर में)	अवस्थान
1	NARESH KUMAR.....AND OTHERS	BEHAT	RASOOLPUR URF RASULI	100M, 101M, 99, 98, 97, 95, 92M		2.2020	

2827

Bhoomidhari/ Agricultural Land (Rule- 52)

आवेदन क्रमांक :- 2024/5/4/341592

आवेदक :-

आवेदक का नाम :- OMVEER

पिता का नाम :- DEVI SINGH

जनपद :- SAHARANPUR

तहसील :- BEHAT

आवेदक का पता :- VILL DOLA MAZRA

SIRSAKA SAHARANPUR 247342

लिंग :- MALE

आवेदक का मोबाइल :- 7037084498

आवेदक का ईमेल :-

खनिज जिसका प्रार्थी खनन करना चाहता है :-

खनिज का नाम :- बालू, बजरी, बोल्टर

खनिज की मात्रा :- 50000.00 (घन मी०)

खनन का प्रयोजन :-

अवधि जिसके लिए अनुज्ञप्ति अपेक्षित है :-

3(माह)

आवश्यक अभिलेख :-

1 आवेदन प्रत्येक के चालान अपलोड (चालान नं०: AKY240010284)

2 भूकर सर्वेक्षण मानचित्र (खसरा/मानचित्र) जिसमें आवेदित क्षेत्र स्पष्ट रूप से चिह्नित हो

3 आवेदित क्षेत्र की खसरा/खतौनी अपलोड

4 आवेदक/भूस्वामी का फोटोयुक्त पहचान पत्र अपलोड

क्षेत्र का विवरण :-

#	भूस्वामी/भूस्वामियों का नाम	तहसील	ग्राम	खसरा संख्या	गाटा संख्या/खण्ड संख्या	क्षेत्रफल(हेक्टेयर में)
1	OMVEER.....AND OTHERS	BEHAT	RASOOLPUR URF RASULI	6M, 8/1, 8/2, 9/1		2.4825

130

राशि/क्षेत्र लो
को जॉय कर आख्या है।

तहसीलदार
बेहट।



आवेदक :-

आवेदक का नाम :- RAJESH

पिता का नाम :- RATIRAM

जनपद :- SAHARANPUR

तहसील :- SAHARANPUR

आवेदक का पता :- VILL MANJHAR TEHSIL

AND DISTT SAHARANPUR

लिंग :- MALE

आवेदक का मोबाइल :- 9749007149

आवेदक का ईमेल :-

खनिज जिसका प्रार्थी खनन करना चाहता है:-

खनिज का नाम :- बालू, बजरी, बोल्टर

खनिज की मात्रा :- 30000.00 (घन मी०)

खनन का प्रयोजन :-

अवधि जिसके लिए अनुज्ञप्ति अपेक्षित है :-

3(माह)

आवश्यक अभिलेख:-

आवेदन पत्र के चालान अपलोड (चालान न०: AKV240010223)

भूकर सर्वेक्षण मानचित्र (खसरा/मानचित्र) जिसमें आवेदित क्षेत्र स्पष्ट रूप से चिह्नित हो

आवेदित क्षेत्र की खसरा/खतीनी अपलोड

आवेदक/भूस्वामी का फोटोयुक्त पहचान पत्र अपलोड

क्षेत्र का विवरण :-

#	भूस्वामी/भूस्वामियों का नाम	तहसील	ग्राम	खसरा संख्या	गाटा संख्या/खण्ड संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अवशेष
1	RAJESH.....AND OTHERS	SAHARANPUR	MANJHAR	1/89, 1/89M, 1/90		1.4340	

दस्तावेज

आवेदन पत्र

2829

Bhoomidhar/Agricultural Land (Rule 52)

आवेदन क्रमांक - 2023/12/19/305892

आवेदक :-

आवेदक का नाम :- RAMESH

पिता का नाम :- BANARSI

जनपद :- SAHARANPUR

तहसील :- BEHAT

आवेदक का पता :- H NO- 72 KASBAGARH

DISTT SAHARANPUR

लिंग :- MALE

आवेदक का मोबाइल :-

आवेदक का ईमेल :-

खनिज जिसका प्रार्थी खनन करना चाहता है :-

खनिज का नाम :- बालू, बजरी, बोल्टर

खनिज की मात्रा :- 40000.00 (घन मी०)

खनन का प्रयोजन :-

अवधि जिसके लिए अनुज्ञापति अपेक्षित है :-

3(माह)

आवश्यक अभिलेख :-

 आवेदन पत्र के चालान अपलोड (चालान नं०: AKV230043271)

 भूकर सर्वेक्षण मानचित्र (खमरा/मानचित्र) जिसमें आवेदित क्षेत्र स्पष्ट रूप से चिह्नित हो

 आवेदित क्षेत्र की खमरा/खतौनी अपलोड

 आवेदक/भूस्वामी का फोटोयुक्त पहचान पत्र अपलोड

क्षेत्र का विवरण :-

#	भूस्वामी/भूस्वामियों का नाम	तहसील	ग्राम	खमरा संख्या	गाटा संख्या/खण्ड संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	RAMESH.....AND OTHERS	BEHAT	ABBUTALABPUR GARH	36/1, 28/2, 30/1, 14, 15/3, 29/1		1.9200

86

राशि/क्षेत्रीय लेख
कृपे जाँच कर आख्या दें।

22/12/23
तहसीलदार
बेहट।





2830

कार्यालय जिलाधिकारी, Saharanpur

(खमम-अनुभाग)

भूमिधरी कृषिकीय भूमि (नियम ५२) पर बाढ़ के कारण जमा उपखनिजों को हटाने के लिए खमम हेतु अनुमति नियम ५२ के अंतर्गत



MINE MITRA

संख्या: NOC/KB/2023/10/10/277063

दिनांक: 09-06-2024

आवेदक एवं अवधि			
अनुमतिधारी का नाम	MASRUF	अनुमतिधारी का पता	VILL MANJHAR PARGANA SULTANPUR DISTT SAHARANPUR
अनुमति की अवधि	अवधि 09-06-2024 से 01-07-2024 तक		

उपखनिज का विवरण	
अनुमति उपखनिज	अनुमति मात्रा
Sand or Bajri or Boulder RBM	43400.00 घन मी०

भूमिधरी/ कृषिकीय भूमि (नियम ५२) हेतु उपयोग होने वाली भूमि की अवस्थिति				
जिल्ला	तहसील	ग्राम/नगर	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
Saharanpur	Saharanpur	MANJHAR	1/217	2.1700

आवेदक द्वारा अनुप्रक्र-1 की शर्तों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।

1955
रत्नखाना वसुधारा

Digitally signed by DINESH CHANDRA
Date: 09 Jun 2024 12:36:55

Saharanpur



अनुलपत्रक-1

अनुशासक पत्र की शर्तों का पालन करत हैं।

2831

1. आवेदक स्वयं खनन क्षेत्र में खनन कार्य करेगा।
2. आवेदक किसी अन्य व्यक्ति, खनन संबंधी अधिकार हस्तांतरित नहीं करेगा।
3. अनुज्ञापत्रधारक ऐसी रीति में खनिज निकालेगा जिनमें कोई सड़क, मार्गजनिक मार्ग, भवन, भू-गुहादि, मार्गजनिक भू-स्थल या मार्गजनिक सम्पत्ति तथा वृक्षों पर कोई बाधा न पड़े, या उसे क्षति न पहुँचे।
4. खनन अनुज्ञापत्र की अवधि समाप्त होने अथवा अनुज्ञापत्र माया लस्य करने में से, जो भी पहले पडित हो खनन अनुज्ञापत्र समाप्त समाप्त जायेगा।
5. खनन अनुज्ञापत्र की अवधि समाप्त होने के उपरान्त आवेदक द्वारा जमा धनराशि की बागमी संबंधी कोई भी दावा विभागीय नहीं होगा।
6. अनुज्ञापत्रधारक द्वारा आवेदित स्थल से ऊपरी मतह पर जमा बालू, बजरी, बोंडर को अनुमोदित खनन योजना के अनुसार हटाया जायेगा।
7. अनुज्ञापत्रधारक, राज्य सरकार को किसी तीसरे पक्ष के दावे की क्षतिपूर्ति करना रहेगा और इस प्रकार के दावे को उसके उत्पन्न होने की स्वयं मिथित करेगा।
8. अनुज्ञापत्रधारक अनुज्ञापत्र में सम्बन्धित सभी अभिलेखों का मेखा जोखा रखेगा और एतदर्थ प्रतिव्यक्ति प्राधिकारी को ऐमें मेखों का निरीक्षण करने की अनुमति देगा।
9. अनुज्ञापत्रधारक द्वारा ओवर लोडिंग पर पभावी नियंत्रण हेतु निकासी स्थल पर सी0मी0टी0की0 कैमरा लगायेगा तथा कैमरे की रिपोर्टिंग प्रश्रित रखेगा।
10. उपखनिज का परिचहन ई-एमएम-11 पर ही किया जायेगा।
11. क्षेत्र का सीमांकन राजस्व विभाग एवं खनन विभाग द्वारा नियमानुसार कराया जाना होगा।
12. यदि उपखनिज की निकासी करने समय अन्य उपखनिज निकलता है तो उसकी मूचना तत्काल प्रभाव से जिलाधिकारी कार्यालय को देनी होगी य अन्य उपखनिज की रायली का अंकन किया जायेगा या आवेदक को अतिरिक्त रायली के रूप में देना होगा।
13. अनुज्ञापत्रधारक द्वारा नियमानुसार रायली, डी0एम0एस0टी0 व डी0मी0एम0 अन्य देय की धनराशि अग्रिम रूप से जमा करानी होगी।
14. अनुज्ञापत्रधारक समय-समय पर माननीय स्थायालय तथा राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेगा।
15. पर्यावरण सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुये नदी की धारा को प्रभावित नहीं किया जाएगा।
16. उपरोक्त आवेदक/सहमति पत्र माननीय स्थायालय व शासन के नियमों के अधीन निर्गत किया जा रहा है।
17. एल0ओ0आई0 में अंकित देय धनराशि 03 दिवस के अन्दर जमा करनी होगी।
18. मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा निर्गत आवेदकों के अनुपालन में, पर्यावरण सुरक्षा संरक्षण को दृष्टिगत रखते हेतु अतिरिक्त शर्तें:-
19. खनन पट्टा प्रामकर्ता द्वारा बिनने क्षेत्रफल में खनन किया जाना प्रस्तावित है उनके क्षेत्रफल में अथवा न्यूनतम एक एकड़ क्षेत्रफल में स्थानीय प्रजाति के 200 फलदार छायादार वृक्षों का रोपण, मिर्चार्ड एवं फसिंग के साथ अपने निजी खेतों में किया जायेगा। एक एकड़ या उससे अधिक क्षेत्रफल के खनन पट्टों की अनापत्ति के मामलों में प्रति एकड़ 200 उपरोक्तानुसार लगाया जाना होगा एक एकड़ में अधिक होने पर प्रति एकड़ के हिसाब में अतिरिक्त 200 वृक्ष लगाने होंगे।
20. प्रथमतः यह मुनिष्ठित किया जाय कि खनन उत्पाद वन भूमि में होकर नहीं गुजरे परन्तु विकल्प नहीं होने पर वन मार्ग के उपयोग की अनुमति नियमानुसार सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी।
21. खनन स्थल के आन-पान स्थित वृक्षों तथा वन्य जीवों को कोई क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी।
22. उत्तर प्रदेश इमारती लकड़ी एवं अन्य वन उपज अभिवहन नियमावली 1978 तथा संशोधित के अनुसार अभिवहन शुल्क, सम्बन्धित व्यक्ति पट्टा धारक को नियमानुसार वन विभाग को देय होगा।
23. खनन स्थल पर नियमित रूप से इन्ट नप्रेशन हेतु जल का छिड़काव किया जाये।
24. खनन परियोजना स्थल पर जनित नगरीय टोस अपशिष्ट के निम्तारण की व्यवस्था की जाये।
25. उपखनिज निकासी के उपरान्त, प्रश्रगत क्षेत्र के किनारों पर 45o Slope formation किया जायेगा।
26. उपखनिज निकासी के उपरान्त, प्रश्रगत क्षेत्र को समतल कराने हुये वृक्षारोपण कृषि कार्य किया जायेगा।
27. यदि प्रश्रगत क्षेत्र में ऊपरी मतह पर ऊपजाऊ मिट्टी पाई जाती है तो उसे सुरक्षित रखते हुये उपखनिज की निकासी के उपरान्त प्रश्रगत क्षेत्र में समतलीकरण कराने के साथ फैला दिया जायेगा।
28. वायु प्रदूषण को दृष्टिगत रखते हुये, Loading or unloading point के आम पास वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु नियमित पानी का छिड़काव करना।





2832
कार्यालय जिलाधिकारी, Saharanpur

(खनन-अनुभाग)
भूमिधारी कृषिकीय भूमि (नियम ५२) पर बाढ़ के कारण जमा उपखनिजों को
हटाने के लिए खनन हेतु अनुज्ञप्ति
नियम ५२ के अंतर्गत



UP **MINE MITRA**

संख्या: NOC/KBI/2024/5/7/342911

दिनांक: 09-06-2024

आवेदक एवं अवधि			
अनुज्ञप्तिधारी का नाम	NARESH KUMAR	अनुज्ञप्तिधारी का पता	VILL BELGARH DEODHAR 72 YAMUNANAGAR HRYANA 135021
अनुज्ञा की अवधि	अवधि 09-06-2024 से 01-07-2024 तक		

उपखनिज का विवरण	
अनुज्ञप्ति उपखनिज	अनुज्ञप्ति मात्रा
Sand or Bajri or Boulder RBM	40544.00 घन मी०

भूमिधारी/ कृषिकीय भूमि (नियम ५२) हेतु उपयोग होने वाली भूमि की अवस्थिति				
जनपद	तहसील	ग्राम/नगर	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
Saharanpur	Behat	RASOOLPUR URF RASULI	100M, 101M, 99, 98, 97, 95, 92M	2.0272

आवेदक द्वारा अनुसूचक-1 की शर्तों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।

रखरखाव विभाग

Digitally signed by DINESH CHANDRA
Date: 09 Jun 2024 13:17:01

Saharanpur

10/2



1. आवेदक स्वयं खनन क्षेत्र में खनन कार्य करेगा।
2. आवेदक किसी अन्य व्यक्ति/खनन संबंधी अधिकार हस्तांतरित नहीं करेगा।
3. अनुशासन धारक गोली रीति में खनिज निष्कासन क्रियामें कोई मरुभू, मार्बल/जिप्स, अथवा, भू-गुहा/बि, मार्बल/जिप्स भू-खनन या मार्बल/जिप्स खनन/निष्कासन जमा नुशी पर कोई बाधा न पड़े, या उसे प्रति न पहुँचे।
4. खनन अनुशासन की अर्थात् नियमित होने अथवा अनुशासन माता मध्य करने में से, जो भी पहले चरित हो खनन अनुशासन पर समाप्त समाप्त जायेगा।
5. खनन अनुशासन की अर्थात् नियमित होने के उपरान्त आवेदक द्वारा जमा धनराशि की बागमी संबंधी कोई भी राशि विचारणीय नहीं होगी।
6. अनुशासन धारक द्वारा आवेदित स्थान में उपरी मरुभू पर जमा बाजु, बजरी, बोगर/को अनुमोदित खनन योजना के अनुसार हटाया जायेगा।
7. अनुशासन धारक, राज्य सरकार को किसी भी प्रकार के दावे की क्षतिपूर्ति कराना रहेगा और इस प्रकार के दावे को उनके उपर होने की स्वयं निश्चित करेगा।
8. अनुशासन धारक अनुशासन में मरुभू/निष्कासन अथवा अर्थात् नियमित होने अथवा अनुशासन माता मध्य करने में से, जो भी पहले चरित हो खनन अनुशासन पर समाप्त समाप्त जायेगा।
9. अनुशासन धारक द्वारा आवेदित स्थान में उपरी मरुभू पर जमा बाजु, बजरी, बोगर/को अनुमोदित खनन योजना के अनुसार हटाया जायेगा।
10. उपखनिज का परिचालन ई-एमएम-11 पर ही किया जायेगा।
11. क्षेत्र का सीमांकन राजस्व विभाग एवं खनन विभाग द्वारा नियमानुसार कराया जाना होगा।
12. यदि उपखनिज की निष्कासी करने समय अन्य उपखनिज निष्कासना है तो उसकी मूचना तत्काल प्रभाव में निष्कासी कार्यालय को देनी होगी व अन्य उपखनिज की राय/टी का अंकन किया जायेगा जो आवेदक को अनिश्चित राय/टी के रूप में देना होगा।
13. अनुशासन धारक द्वारा निष्कासन राय/टी, 100एमएम/एम/टी/टी व 100एमएम/एम/टी/टी अन्य देय की धनराशि अग्रिम रूप में जमा करानी होगी।
14. अनुशासन धारक समय-समय पर माननीय न्यायालयों तथा राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेगा।
15. पर्यावरण सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुये नदी की धारा को प्रभावित नहीं किया जाएगा।
16. उपरोक्त आवेदन/परिचालन पर माननीय न्यायालय व शासन के नियमों के अधीन निर्गत किया जा रहा है।
17. एनओ/आईओ में अंकित देय धनराशि 03 दिवस के अन्दर जमा करनी होगी।
18. माओ राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा निर्गत आवेदों के अनुपालन में, पर्यावरण सुरक्षा संरक्षण को दृष्टिगत रखते हुये अतिरिक्त धन:-
19. खनन पट्टा प्रान्त/राज्य द्वारा जितने क्षेत्रफल में खनन किया जाना प्रस्तावित है उनके क्षेत्रफल में अथवा मूलतः एक एकड़ क्षेत्रफल में स्थानीय प्रजाति के 200 फलदार छायादार वृक्षों का रोपण, मिर्च/आंव एवं फसिल के साथ अपने निजी खेतों में किया जायेगा। एक एकड़ या उससे अधिक क्षेत्रफल के खनन पट्टों की अनापत्ति के मामलों में प्रति एकड़ 200 उपरोक्तानुसार लगाया जाना होगा एक एकड़ में अधिक होने पर प्रति एकड़ के हिसाब में अतिरिक्त 200 वृक्ष लगाने होंगे।
20. प्रथमतः यह सुनिश्चित किया जाय कि खनन उत्पाद वन भूमि में होकर नहीं गुजरे परन्तु विकल्प नहीं होने पर वन मार्ग के उपयोग की अनुमति नियमानुसार सक्षम स्तर में अनुमति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी।
21. खनन स्थल के आस-पास स्थित वृक्षों तथा वन्य जीवों को कोई हानि नहीं पहुँचायी जायेगी।
22. उत्तर प्रदेश हमारनी लकड़ी एवं अन्य वन उपज अभिवहन नियमावली 1978 तथा संशोधित के अनुसार अभिवहन शुल्क, सम्बन्धित व्यक्ति पट्टा धारक को नियमानुसार वन विभाग को देय होगा।
23. खनन स्थल पर नियमित रूप में इन्ट मॉनिटरिंग हेतु जल का छिड़काव किया जाये।
24. खनन परिचालना स्थल पर जलित नगरीय ठोस अपशिष्ट के निम्नारण की व्यवस्था की जाये।
25. उपखनिज निष्कासी के उपरान्त, प्रथमतः क्षेत्र के किनारों पर 45o Slope formation किया जायेगा।
26. उपखनिज निष्कासी के उपरान्त, प्रथमतः क्षेत्र को समतल करने हुये वृक्षारोपण कृषि कार्य किया जायेगा।
27. यदि प्रथमतः क्षेत्र में उपरी मरुभू पर ऊपजाऊ मिट्टी पाई जाती है तो उसे सुरक्षित रखते हुये उपखनिज की निष्कासी के उपरान्त प्रथमतः क्षेत्र में समतलीकरण कराने के साथ फैला दिया जायेगा।
28. वायु प्रदूषण को दृष्टिगत रखते हुये, Loading or unloading point के आस पास वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु नियमित पानी का छिड़काव करना।
- 29.



2834

कार्यालय जिलाधिकारी, Saharanpur



(खनन-अनुभाग)
भूमिधरी कृषिकीय भूमि (नियम ५२) पर बाढ़ के कारण जमा उपखनिजों को
हटाने के लिए खनन हेतु अनुज्ञप्ति
नियम ५२ के अंतर्गत

UP MINE MITRA

संख्या: NOC/KB/2024/5/4/341592


दिनांक: 09-06-2024

आवेदक एवं अवधि			
अनुज्ञप्तिधारी का नाम	OMVEER	अनुज्ञप्तिधारी का पता	VILL DOLA MAZRA SIRSAKA SAHARANPUR 247342
अनुज्ञा की अवधि	अवधि 09-06-2024 से 01-07-2024 तक		

उपखनिज का विवरण	
अनुज्ञप्ति उपखनिज	अनुज्ञप्ति मात्रा
Sand or Bajri or Boulder RBM	49648.00 घन मी०

भूमिधरी/ कृषिकीय भूमि (नियम ५२) हेतु उपयोग होने वाली भूमि की अवस्थिति				
जनपद	तहसील	ग्राम/तगर	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
Saharanpur	Behat	RASOOLPUR URF RASULI	6M, 8/1, 8/2, 9/1	2.4824

आवेदक द्वारा अनुलग्नक-1 की शर्तों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।



Digitally signed by DINESH CHANDRA
Date: 09 Jun 2024 13:09:24

Saharanpur



Scanned with OKEN Scanner

1. आवेदक स्वयं खनन क्षेत्र में खनन कार्य करेगा।
2. आवेदक किसी अन्य व्यक्ति खनन संबंधी अधिकार हस्तांतरित नहीं करेगा।
3. अनुज्ञापत्रधारक ऐसी रीति में खनिज निष्कासन करेगा जोई महक, मार्बलजिक मार्ग, भवन, पु-गृहादि, मार्बलजिक पु-स्थल या मार्बलजिक गण्डनि तथा वृत्तों पर कोई बाधा न पड़े, या उसे क्षति न पहुंचे।
4. खनन अनुज्ञापत्र की अस्थि समाप्त होने अथवा अनुज्ञापत्र मात्ता मध्य करने में से, जो भी पहले पड़ित हो खनन अनुज्ञापत्र समाप्त माना जायेगा।
5. खनन अनुज्ञापत्र की अस्थि समाप्त होने के उपरान्त आवेदक द्वारा जमा धनराशि की वापसी संबंधी कोई भी दावा विचारणीय नहीं होगा।
6. अनुज्ञापत्रधारक द्वारा आवेदित स्थल से ऊपरी मजह पर जमा वायु, बजरी, बोग्गर को अनुपेक्षित खनन योजना के अनुसार हटाया जायेगा।
7. अनुज्ञापत्रधारक, राज्य सरकार को किसी भी तरह के दावे की क्षतिपूर्ति करता रहेगा और इन प्रकार के दावे को उसके उत्पन्न होने की स्थिति निर्दिष्ट करेगा।
8. अनुज्ञापत्रधारक अनुज्ञापत्र में मरबन्धित सभी अभिलेखों का लेखा जोखा रखेगा और एतदर्थ प्रतिनिधित्व प्राधिकारी को लेख लेखों का निरीक्षण करने की अनुमति देगा।
9. अनुज्ञापत्रधारक द्वारा ओवर मोर्दिंग पर पभावी नियंत्रण हेतु निकासी स्थल पर 100मी0डी0वी0 कैमरा लगायेगा तथा कैमरे की रिपोर्टिंग मुद्रित रखेगा।
10. उपखनिज का परिष्कार ई-गाम-11 पर ही किया जायेगा।
11. क्षेत्र का सीमांकन राज्य विभाग एवं खनन विभाग द्वारा नियमानुसार कराया जाना होगा।
12. यदि उपखनिज की निकासी करने समय अन्य उपखनिज निष्कासन है तो उसकी मूचना तत्काल प्रभाव में विभागाधीन कार्यालय को देनी होगी व अन्य उपखनिज की रायव्दी का अंशकन किया जायेगा व आवेदक को अतिरिक्त रायव्दी के रूप में देना होगा।
13. अनुज्ञापत्रधारक द्वारा नियमानुसार रायव्दी, 100एम0एम0डी0 व 100मी0एम0 अन्य देय की धनराशि अग्रिम रूप से जमा करानी होगी।
14. अनुज्ञापत्रधारक समय-समय पर माननीय न्यायालयों तथा राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेगा।
15. पर्यावरण सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुये नदी की धारा को प्रभावित नहीं किया जाएगा।
16. उपरोक्त आदेश/अहमति पर माननीय न्यायालय व शासन के नियमों के अधीन निर्गत किया जा रहा है।
17. एम्0ओ0आई0 में अंकित देय धनराशि 03 दिवस के अन्दर जमा करनी होगी।
18. मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा निर्गत आदेशों के अनुपालन में, पर्यावरण सुरक्षा मंत्रालय को दृष्टिगत रखते हेतु अतिरिक्त शर्तें-
19. खनन पट्टा प्राप्तकर्ता द्वारा खनन क्षेत्र में खनन किया जाना प्रस्तावित है उनके क्षेत्रफल में अथवा न्यूनतम एक एकड़ क्षेत्रफल में स्थानीय प्रजाति के 200 फलदार छायादार वृक्षों का रोपण, मिर्चार्ड एवं फेनिंग के साथ अपने निजी खेतों में किया जायेगा। एक एकड़ या उससे अधिक क्षेत्रफल के खनन पट्टों की अनागति के मामलों में प्रति एकड़ 200 उपरोक्तानुसार लगाया जाना होगा एक एकड़ में अधिक होने पर प्रति एकड़ के द्विमात्र में अतिरिक्त 200 वृक्ष लगाने होंगे।
20. प्रथमतः यह सुनिश्चित किया जाय कि खनन उत्पाद वन भूमि में होकर नहीं गुजरे परन्तु विकल्प नहीं होने पर वन मार्ग के उपयोग की अनुमति नियमानुसार मंथन स्तर में अनुमति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी।
21. खनन स्थल के आम-पान स्थित वृक्षों तथा अन्य जीवों को कोई हानि नहीं पहुंचायी जायेगी।
22. उक्त प्रदेश सरकार की संकल्प एवं अन्य वन उपखनिज नियमावली 1978 यथा संशोधित के अनुसार अभिवहन नियमावली 1978 यथा संशोधित के अनुसार अभिवहन शुल्क, सम्बन्धित व्यक्ति पट्टा धारक को नियमानुसार वन विभाग को देय होगा।
23. खनन स्थल पर नियमित रूप से दम्भ मॉन्टरिंग हेतु बल का छिड़काव किया जाये।
24. खनन परियोजना स्थल पर अनित नगरीय टोम अपशिष्ट के निम्तारण की व्यवस्था की जाये।
25. उपखनिज निकासी के उपरान्त, प्रथमतः क्षेत्र के किनारों पर 45o Slope formation किया जायेगा।
26. उपखनिज निकासी के उपरान्त, प्रथमतः क्षेत्र को ममत्तन कराने हुये वृक्षारोपण कृषि कार्य किया जायेगा।
27. यदि प्रथमतः क्षेत्र में उपरी मजह पर ऊपजाऊ मिट्टी पाई जाती है तो उसे सुरक्षित रखते हुये उपखनिज की निकासी के उपरान्त प्रथमतः क्षेत्र में ममत्तलीकरण कराने के साथ फैला दिया जायेगा।
28. वायु प्रदूषण को दृष्टिगत रखते हुये, Loading or unloading point के आम गाम वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु नियमित पानी का छिड़काव करना।
- 29.



2836

कार्यालय जिलाधिकारी, Saharanpur

(खनन-अनुभाग)

भूमिधरी कृषिकीय भूमि (नियम ५२) पर बाढ़ के कारण जमा उपखनिजों को हटाने के लिए खनन हेतु अनुज्ञप्ति नियम ५२ के अंतर्गत



UP **MINE MITRA**

संख्या: NOC/KB/2024/5/13/346283

दिनांक: 09-06-2024

आवेदक एवं अवधि			
अनुज्ञप्तिधारी का नाम	RAJESH	अनुज्ञप्तिधारी का पता	VILL MANJHAR TEHSIL AND DISTT SAHARANPUR
अनुज्ञा की अवधि	अवधि 09-06-2024 से 01-07-2024 तक		

उपखनिज का विवरण	
अनुज्ञप्ति उपखनिज	अनुज्ञप्ति मात्रा
Sand or Bajri or Boulder RBM	25600.00 घन मी०

भूमिधरी/ कृषिकीय भूमि (नियम ५२) हेतु उपयोग होने वाली भूमि की अवस्थिति				
जनपद	तहसील	ग्राम/नगर	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
Saharanpur	Saharanpur	MANJHAR	1/89, 1/89M, 1/90	1.2800

आवेदक द्वारा अनुनयन-1 की शर्तों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।

रत्नगंगा वसुन्धरा

Digitally signed by DINESH CHANDRA
Date: 09 Jun 2024 12:41:03

Saharanpur



Scanned with OKEN Scanner

1. आवेदक स्वयं खनन क्षेत्र में खनन कार्य करेगा।
2. आवेदक किसी अन्य व्यक्ति खनन संबंधी अधिकार हस्तांतरित नहीं करेगा।
3. अनुज्ञापत्रधारक ऐसी रीति में खनिज निकालेगा जिसे कोई मंडक, मार्बल, गार्बल, भवन, भू-गृहादि, मार्बल, भू-स्थल या मार्बल गण्डन तथा वृक्षादि पर कोई बाधा न पड़े, या उसे ध्वस्त न करे।
4. खनन अनुज्ञापत्र की अवधि समाप्त होने अथवा अनुज्ञापत्र माफा कर स्थगित करने में से, जो भी पहले पड़ित हो खनन अनुज्ञापत्र समाप्त जायेगा।
5. खनन अनुज्ञापत्र की अवधि समाप्त होने के उपरान्त आवेदक द्वारा जमा धनराशि की बापसी संबंधी कोई भी शर्त विचारणीय नहीं होगी।
6. अनुज्ञापत्रधारक द्वारा आवेदित स्थल से ऊपरी सतह पर जमा बालू, बजरी, बोट्टर को अनुमोदित खनन योजना के अनुसार हटाया जायेगा।
7. अनुज्ञापत्रधारक, राज्य सरकार को किसी भी तरह के दावे की धनिपुति करता रहेगा और दग प्रकार के दावे को उनके उत्तर होने ही स्वयं निश्चित करेगा।
8. अनुज्ञापत्रधारक अनुज्ञापत्र में सम्बन्धित सभी अभियंतों का पेशा जोखा रहेगा और एजेंडर प्रतिनियुक्ति प्राधिकारी को ऐंम संघों का निरीक्षण करने की अनुमति देगा।
9. अनुज्ञापत्रधारक द्वारा ओवर मोडिंग पर पभावी नियंत्रण हेतु निकासी स्थल पर सी0मी0टी0वी0 कैमरा लगायेगा तथा कैमरे की रिपोर्टिंग सुरक्षित रहेगा।
10. उपखनिज का परिबहन ई-एमएम-11 पर ही किया जायेगा।
11. क्षेत्र का सीमांकन राज्य विभाग एवं खनन विभाग द्वारा नियमानुसार कराया जाना होगा।
12. यदि उपखनिज की निकासी करने समय अन्य उपखनिज निकलता है तो उसकी मूचना तत्काल प्रभाव से जिलाधिकारी कार्यालय को देनी होगी व अन्य उपखनिज की रायल्टी का अंकन किया जायेगा जो आवेदक को अनिश्चित रायल्टी के रूप में देना होगा।
13. अनुज्ञापत्रधारक द्वारा नियमानुसार रायल्टी, डी0एम0एस0टी0 व डी0सी0एम0 अन्य देय की धनराशि अग्रिम रूप से जमा करानी होगी।
14. अनुज्ञापत्रधारक समय-समय पर माननीय न्यायालयों तथा राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेगा।
15. पर्यावरण सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुये नदी की धारा को प्रभावित नहीं किया जाएगा।
16. उपरोक्त आदेश/सहमति पत्र माननीय न्यायालय व शासन के नियमों के अधीन निर्गत किया जा रहा है।
17. एल0ओ0आई0 में अंकित देय धनराशि 03 दिवस के अन्दर जमा करनी होगी।
18. मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा निर्गत आदेशों के अनुपालन में, पर्यावरण सुरक्षा संरक्षण को दृष्टिगत रखते हेतु अतिरिक्त शर्तें:-
19. खनन पट्टा प्रान्तों द्वारा जितने क्षेत्रफल में खनन किया जाना प्रस्तावित है उनके क्षेत्रफल में अथवा न्यूनतम एक एकड़ क्षेत्रफल में स्थानीय प्रजाति के 200 फलदार द्वायादार वृक्षों का रोपण, सिंचाई एवं फेंसिंग के साथ अपने निजी खेतों में किया जायेगा। एक एकड़ या उससे अधिक क्षेत्रफल के खनन पट्टों की अनापत्ति के मामलों में प्रति एकड़ 200 उपरोक्तानुसार लगाया जाना होगा एक एकड़ में अधिक होने पर प्रति एकड़ के हिसाब में अनिश्चित 200 वृक्ष लगाने होंगे।
20. ध्यानतः यह नुनिश्चित किया जाय कि खनन उत्पाद वन भूमि में डोंकर नहीं गूँडे परन्तु विकल्प नहीं होने पर वन मार्ग के उपयोग की अनुमति नियमानुसार सधम स्तर से अनुमति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी।
21. खनन स्थल के आम-पान स्थित वृक्षों तथा वन्य जीवों को कोई हानि नहीं पहुंचायी जायेगी।
22. उत्तर प्रदेश इमारती लकड़ी एवं अन्य वन उपज अभिवहन नियमावली 1978 यथा संशोधित के अनुसार अभिवहन शुल्क, सम्बन्धित व्यक्ति पट्टा धारक को नियमानुसार वन विभाग को देय होगा।
23. खनन स्थल पर नियमित रूप से इन्स्ट नपेशन हेतु जल का छिड़काव किया जाये।
24. खनन परियोजना स्थल पर जनित नगरीय ठोस अपशिष्ट के निम्नारण की व्यवस्था की जाये।
25. उपखनिज निकासी के उपरान्त, प्रथम क्षेत्र के किनारों पर 45o Slope formation किया जायेगा।
26. उपखनिज निकासी के उपरान्त, प्रथम क्षेत्र को समतल करने हुये वृक्षारोपण कृषि कार्य किया जायेगा।
27. यदि प्रथम क्षेत्र में ऊपरी सतह पर ऊपजाऊ मिट्टी पाई जाती है तो उसे सुरक्षित रखते हुये उपखनिज की निकासी के उपरान्त प्रथम क्षेत्र में समतलीकरण कराने के साथ फैला दिया जायेगा।
28. वायु प्रदूषण को दृष्टिगत रखते हुये, Loading or unloading point के आम पाम वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु नियमित पानी का छिड़काव करना।



2838

कार्यालय जिलाधिकारी, Saharanpur

(खनन-अनुभाग)

भूमिधरी कृषिकीय भूमि (नियम ५२) पर बाढ़ के कारण जमा उपखनिजों को हटाने के लिए खनन हेतु अनुज्ञप्ति नियम ५२ के अंतर्गत



UP MINE MITRA

संख्या: NOC/KB/2023/12/19/305892

दिनांक: 09-06-2024

आवेदक एवं अवधि			
अनुज्ञप्तिधारी का नाम	RAMESH	अनुज्ञप्तिधारी का पता	H NO- 72 KASBAGARH DISTT SAHARANPUR
अनुज्ञा की अवधि	अवधि 09-06-2024 से 01-07-2024 तक		

उपखनिज का विवरण	
अनुज्ञप्ति उपखनिज	अनुज्ञप्ति मात्रा
Sand or Bajri or Boulder RBM	26440.00 घन मी०

भूमिधरी/ कृषिकीय भूमि (नियम ५२) हेतु उपयोग होने वाली भूमि की अवस्थिति				
जनपद	तहसील	ग्राम/नगर	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
Saharanpur	Behat	ABBUTALABPUR GARH	36/1, 28/2, 30/1, 14, 15/3, 29/1	1.3220

आवेदक द्वारा अनुलग्नक-1 की शर्तों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।

रखवासा वसुधारा

Digitally signed by DINESH CHANDRA
Date: 09 Jun 2024 13:26:22

Saharanpur



Scanned with OKEN Scanner

1. आवेदक स्वयं घनन क्षेत्र में घनन कार्य करेगा।
2. आवेदक किसी अन्य व्यक्ति घनन संबंधी अधिकार हस्तान्तरित नहीं करेगा।
3. अनुज्ञापत्रधारक ऐसी रीति में घनन निकालेगा जिसमें कोई गड़क, मार्बलजिक मार्ग, अवन, भू-गुहादि, मार्बलजिक भू-स्थल या मार्बलजिक गम्पनि तथा वृक्षां पर कोई बाधा न पड़े, या उसे ध्वस्त न पहुँचे।
4. घनन अनुज्ञा पत्र की अवधि समाप्त होने अथवा अनुज्ञात मात्रा लब्ध करने में से, जो भी पहले घटित हो घनन अनुज्ञा पत्र समाप्त मगसा जायेगा।
5. घनन अनुज्ञा पत्र की अवधि समाप्त होने के उपरान्त आवेदक द्वारा जमा धनराशि की वापसी संबंधी कोई भी दावा विचारणीय नहीं होगी।
6. अनुज्ञापत्रधारक द्वारा आवेदित स्थल से ऊपरी मजह पर जमा वायु, वजरी, बोल्डर को अनुमोदित घनन योजना के अनुसार हटाया जायेगा।
7. अनुज्ञापत्रधारक, राज्य सरकार को निम्नी नीसरे पक्ष के दावे की धनिपुति करना रहेगा और दग प्रकार के दावे को उसके उत्पन्न होने की स्वयं निश्चित करेगा।
8. अनुज्ञापत्रधारक अनुज्ञा में सम्बन्धित सभी अभिलेखों का लेखा जोखा रहेगा और एतदर्थ प्रतिनियुक्ति प्राधिकारी को ऐंग संघों का निर्गण करने की अनुमति देगा।
9. अनुज्ञापत्रधारक द्वारा ओवर लॉडिंग पर प्रभावी नियंत्रण हेतु निकासी स्थल पर सी0मी0टी0सी0 कैमरा लगायेगा तथा कैमरे की रिकार्डिंग सुरक्षित रहेगा।
10. उपघनन का परिवहन ई-एमएम-11 पर ही किया जायेगा।
11. क्षेत्र का सीमांकन राजस्व विभाग एवं घनन विभाग द्वारा नियमानुसार कराया जाना होगा।
12. यदि उपघनन की निकासी करने समय अन्य उपघनन निकलना है तो उसकी मूचना तत्काल प्रभाव में जिलाधिकारी कार्यालय को देनी होगी व अन्य उपघनन की रायवटी का अंकलन किया जायेगा व आवेदक को अनिश्चित रायवटी के रूप में देना होगा।
13. अनुज्ञापत्रधारक द्वारा नियमानुसार रायवटी, डी0एम0एच0टी0 व टी0मी0एन0 अन्य देय की धनराशि अग्रिम रूप में जमा करानी होगी।
14. अनुज्ञापत्रधारक समय-समय पर माननीय न्यायालयों तथा राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेगा।
15. पर्यावरण सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुये नदी की धारा को प्रभावित नहीं किया जाएगा।
16. उपरोक्त आदेश/सहमति पत्र माननीय न्यायालय व शासन के नियमों के अधीन निर्गत किया जा रहा है।
17. एल0ओ0आई0 में अंकित देय धनराशि 03 दिवस के अन्दर जमा करनी होगी।
18. मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा निर्गत आदेशों के अनुपालन में, पर्यावरण सुरक्षा मंत्रालय को दृष्टिगत रखते हेतु अनिश्चित शर्तें:-
19. घनन पट्टा प्रानकर्ता द्वारा जितने क्षेत्रफल में घनन किया जाना प्रस्तावित है उनके क्षेत्रफल में अथवा न्यूनतम एक एकड़ क्षेत्रफल में स्थानीय प्रजाति के 200 फलदार छायादार वृक्षां का रोपण, सिंचाई एवं कंनिग के साथ अपने निजी स्रोतों से किया जायेगा। एक एकड़ या उससे अधिक क्षेत्रफल के घनन पट्टों की अनापत्ति के मामलों में प्रति एकड़ 200 उपरोक्तानुसार लगाया जाना होगा एक एकड़ में अधिक होने पर प्रति एकड़ के हिमाव में अनिश्चित 200 वृक्ष लगाने होंगे।
20. प्रथमतः यह सुनिश्चित किया जाय कि घनन उत्पाद वन भूमि में होकर नहीं गुजरे परन्तु विकल्प नहीं होने पर वन मार्ग के उपयोग की अनुमति नियमानुसार सक्षम स्तर में अनुमति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी।
21. घनन स्थल के आन-पान स्थित वृक्षां तथा वन्य जीवों को कोई हानि नहीं पहुँचायी जायेगी।
22. उजर प्रदेश दमारनी लकड़ी एवं अन्य वन उपज अभिवहन नियमावली 1978 यथा संशोधित के अनुसार अभिवहन शुल्क, सम्बन्धित व्यक्ति पट्टा धारक को नियमानुसार वन विभाग को देय होगा।
23. घनन स्थल पर नियमित रूप से दन्ट नप्रेशन हेतु जल का छिड़काव किया जाये।
24. घनन पत्रियोजना स्थल पर जनित नगरीय टोन अपशिष्ट के निस्तारण की व्यवस्था की जाये।
25. उपघनन निकासी के उपरान्त, प्रथमन क्षेत्र के किनारों पर 45o Slope formation किया जायेगा।
26. उपघनन निकासी के उपरान्त, प्रथमन क्षेत्र को समतल कराते हुये वृधारोपण कृषि कार्य किया जायेगा।
27. यदि प्रथमन क्षेत्र में ऊपरी मजह पर ऋपजाऊ मिट्टी पाई जाती है तो उसे सुरक्षित रखते हुये उपघनन की निकासी के उपरान्त प्रथमन क्षेत्र में समतलीकरण कराने के साथ फैला दिया जायेगा।
28. वायु प्रदूषण को दृष्टिगत रखते हुये, Loading or unloading point के आम पाम वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु नियमित पानी का छिड़काव करना।